#### FORM-1

1.6 B

#### Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

ed 26.03.15
e

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.536 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Kathpuriya to Kalodiya (Katuniya) Motor Road (4.00 Km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Bangsar, Kalodiya Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.536 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

### It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.536 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector

जिल्लाभिकारी पदमोहरू

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule

tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA,

2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., Deputy

Commissioner, Almora on date .26.03:15...... at time .11..00 Ar. at Almora in which

application claiming rights of Bangsar, Kalodiya area measuring 0.53.6 Hect. for the

Construction of Kathpuriya to Kalodiya (Katuniya) Motor Road (4.00 Km.) of forest land

under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub

division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of

admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were

found to have been made & hence District level committees recommend the above case for

diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Deputy Commissioner-cun

District Level Committee.

Dated:

#### पपत्र-23

परियोजना का नाम :- स्थान्सा व्यक्त संत्या क्रम्प्रह्म से क्रोहिय (क्रम्प्रिय) हैन

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम : व्याप्टित्तहसील का नाम : व्याप्टित्तहसील अल्मोड़ा

अनापितत प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड कें कटपाड्य से कलगड़िया (कर्णाया कि मार्ट माग का यव परियोजना के निर्माण हेतु ........... है0 आरक्षित वन भूमि, --- हैo सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि ...... हैo अर्थात कुल 0.536 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत निर्मात द्वारा दिनांक 22 3/5 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

THE THE P

ग्राम प्रधान

### प्रपत्र-23.1

दिनांक 23/18...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत वश्य

क्मांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ	हस्ताक्षर
	ग्रामवासियों के नाम	
1 —	वेसेशवन केश्याप	Q421 वन काDJUIM
2 -	अवाराहत भर	मय्रावच
3 —	1212121 21 21	Al Agranta
4-	to the second	Bay-Sauce
5-	THE AS HOWEN	makes tracticed stop
6-	E-20 A 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	T.MXM

ग्राम प्रधान

भाग प्रशासन

#### पपत्र-23

परियोजना का नाम :- रक्षा ची० के उसकार कावणड्या के केलगाउथा (कार्कार्या) त्य

# वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र वृत्तराखण्ड के कठणड्या का कामाड्या (क्याना)का मादर मामा ना कारियोजना के निर्माण हेतु कारियोजना के निर्माण हेतु कारियोजना के निर्माण है० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काम द्वारा दिनांक 23/3/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त्र ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोडा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

> ग्राम् प्रधान हिमा भट्ट) श्रिमा भट्ट) श्रिमा भट्ट) गणम पंचायत बंगसर व - इजलबान(अल्मोही)

#### प्रपत्र-23.1

# दिनांक 3/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

म पंचायत <u>लगस</u> कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ	हस्ताक्षर
	ग्रामवासियों, के न <u>ाम/)</u>	
1-	व्यमराम्य वन्तरीय	Crimo In
2 -	2411 NO 50 70 HOW	puresh pres
3 -	रपश राम्न प्रायम्भाग्रेषु	y neiga a
4 -	्हमा दर्भ % विश्वाभराज	GIII GOII
5-	इंडा कापा % हर शिरीका	Indira DEVI
6 —	श्रव (15 अंग्रिश्यावरात्र	3101412

ग्राम प्रधान हिला भट्ट प्रधान ग्राम पंचायत बंगसर वि प्राम (अल्बोड़ी)

1.67

# परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कठपुड़िया से कलोडिया (कतुनिया) मोटर मार्ग। लम्बाई 4.00 कि0मी0

# कार्यालय उप जिलाधिकारी, <u>आर्ट्साडा</u> अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

उपखण्ड स्तरीय समिति,
उपखण्ड प्राची परिक्षेत्र के अन्तर्गत कठपुढ़िया से कलोडिया (कतुनिया) मोटर मार्ग
लम्बाई 4.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु हे0 आरक्षित वन भूमि, ०.536 हे0 सिविल
सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि अून्या है० अर्थात कुल ७,५३% है० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय
समिति, (तहसील अस्त्राह्म) की दिनांक १८ ०० । ८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का
विवरण:—
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीयान कि के
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की ग्यी। बैठ्ठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।
1- श्री-मदा चिक् रक्ट उपजिलाधिकारी उपन्मादा अध्यक्ष
2- श्री वापन द्वीना उप प्रभागीय वनाधिकारी उपनाडा द्वान प्रवास सदस्य
3- श्री कार्या पाठ सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्या सदस्य/सचिव
3- श्री च्या प्राप्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी इन्या सदस्य/सचिव 4- श्री राज व्यु ग्री राज विश्व विश्व विश्व सित्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया से कलोडिया (कतुनिया) मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु क्षा कि ... है0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन् निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड उपयोज्य परिक्षेत्र के अन्तर्गत कठपुड़िया से कलोडिया (कतुनिया) मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी० परियोजना के निर्माण हेतु कुल ७ 536 है० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी सदर जन्मोड्रा

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील—अल्मोड़ा, जनपद—अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील—अल्मोड़ा, जनपद—अल्मोडा।